प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जनपद आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से मॉल रोड (अवन्ती बाई चौराहे तक) के किमी0-1 में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत एवं रिहैबिलीटेशन कार्य हेतु व्यपगत धनराशि के पुनः आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-1364/राजस्व मद (पक्का सेतु)/अनुरक्षण/सेतु-6/23-24 दिनांक 25-08-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से मॉल रोड (अवन्ती बाई चौराहे तक) के किमी0-1 में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत एवं रिहैबिलीटेशन कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 154.23 लाख में से रू0 135.32 लाख के व्यपगत होने की स्थिति से अवगत कराते हुये उक्त् व्यपगत धनराशि रू0 135.32 लाख के पुनः आवंटन का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश सं0-10/2023/1604/23-10-22-108(सेतु)/22 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा लागत धनराशि रू0 308.46 लाख के सापेक्ष रू0 154.23 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अवमुक्त की गयी थी।

3- इस संबंध में प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त जनपद आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से मॉल रोड (अवन्ती बाई चौराहे तक) के किमी0-1 में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत एवं रिहैबिलीटेशन कार्य हेतु व्यपगत धनराशि रू0 135.32 लाख के पुनः आवंटन की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0 | कार्य का नाम | खण्ड का नाम | वित्तीय वर्ष, 2022-23 में आवंटन | वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यपगत धनराशि | वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटन हेतु धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जनपद आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से मॉल रोड (अवन्ती बाई चौराहे तक) के किमी0-1 में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत एवं रिहैबिलीटेशन कार्य। | प्रा0ख0/आगरा | 154.23 | 135.32 | 135.32 |
| | **योग-** | | **154.23** | **135.32** | **135.32** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश सं0-42/2022/212/23-10-21-10(ब)/2017, दिनांक 21.04.2022 एवं शासनादेश सं0-69/2022/683/001/683/23-10-22-10बीए-2017 दिनांक 17.08.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़के-800-अन्य व्यय-04-पुलों का अनुरक्षण एवं मरम्मत-29-अनुरक्षण मद में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 88.81 करोड़ में से वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या-198/2023/1174(1)/** 23-10099(099)/79/2022तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) मण्डलायुक्त आगरा/जिलाधिकारी, आगरा ।
(3) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) संबंधित कोषाधिकारी।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(8) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(9) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in